

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2015

संख्या-1/एल1-10-23/2013 गृ0आ0 / श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-07, कटिहार को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्रांक-13018/2/2008-Estt. (L), दिनांक 11.09.2008 के आलोक में दिनांक 01.12.2015 से 28.05.2016 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010) के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रेल, कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-07, कटिहार के प्रभार में भी रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/एल1-10-23/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-23/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषाकार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-23/2015 गृ0आ0 8093 /पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-07, कटिहार/ पुलिस अधीक्षक, रेल, कटिहार /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।